



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 468 राँची, गुरुवार, 27 आषाढ़, 1946 (श०)
18 जुलाई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

6 मई, 2024

आदेश संख्या-2/वरीयता-01-02/2024 का.-3114--संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली में राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति हेतु SCM की आहूत बैठक में आकृष्ट कराये गए बिन्दु के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त तथा बिहार से अंतिम रूप से झारखण्ड कैडर आंवटन के पश्चात् झारखण्ड प्रशासनिक सेवा अन्तर्गत दिनांक 01.01.2024 की तिथि को कार्यरत पदाधिकारियों की वरीयता निर्धारण का मामला राज्य सरकार के समक्ष विराचाधीन था ।

2. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त तथा बिहार से अंतिम रूप से झारखण्ड कैडर आंवटन के पश्चात् झारखण्ड प्रशासनिक सेवा अन्तर्गत दिनांक 01.01.2024 की तिथि को कार्यरत पदाधिकारियों की औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन संलग्न सूची के अनुसार किया जाता है ।

3. वैसे पदाधिकारी जो वरीयता एवं वरीयता सूची प्रारूप में अंकित तथ्यों के संबंध में आपत्ति देना चाहें, वे पूर्ण साक्ष्यों के साथ अपनी आपत्ति औपबंधिक वरीयता सूची प्रारूप के प्रकाशन के एक माह के अंदर विभाग को दे सकते हैं ।

4. संबंधित पदाधिकारियों से एक माह के अंदर प्राप्त आपत्ति पर सम्यक विचारोपरांत अंतिम रूप से वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार पासवान,
सरकार के अवर सचिव ।
